



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 जेष्ठ, 1942 (श०)

22 मई, 2020 (ई०)

संख्या- 218 राँची, शुक्रवार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

11 मई, 2020

संख्या-5/आरोप-1-34/2017-5358 (HRMS)—श्री आशीष कुमार, झा०प्र०से०, (चतुर्थ 'सीमित' बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हेरहंज, लातेहार के विरुद्ध उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-405/डी०आर०डी०ए०, दिनांक 28.02.2017 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये:-

आरोप- इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत प्रखण्ड हेरहंज के विभिन्न पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2014-15 में 70 एवं वर्ष 2015-16 में 50 कुल 120 लाभूकों को इन्दिरा आवास स्वीकृत करते हुए प्रथम किस्त की राशि के रूप में कुल मो०-24,30,000/- (चैबीस लाख तीस हजार) रु० का भुगतान आपने कर दी है, जो इंदिरा आवास के मार्गदर्शिका के खिलाफ है, क्योंकि प्रावधान के अनुसार गैर बी०पी०एल० धारी व्यक्ति को इंदिरा आवास का लाभ नहीं दिया जाना है। इस प्रकार आपके इस कृत्य से कुल 24,30,000/- (चैबीस लाख तीस हजार) रु० की सरकारी राशि का अपव्यय हुआ है ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-5972, दिनांक 05.05.2017 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्रांक-1220, दिनांक 16.10.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है ।

श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-9132, दिनांक 17.12.2018 द्वारा उपायुक्त, लातेहार से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-258, दिनांक 08.02.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य प्रतिवेदित करते हुए इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की गई ।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, लातेहार से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-1501(hrms), दिनांक 28.03.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-158, दिनांक 26.06.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों को आंशिक रूप से सही प्रतिवेदित किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड राँची से मंतव्य की माँग की गयी। उक्त के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-207, दिनांक 16.01.2020 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी के मंतव्य एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री कुमार द्वारा 07 (सात) गैर बी०पी०एल० धारी परिवारों को इंदिरा आवास स्वीकृति की गई है।

अतः समीक्षोपरान्त, श्री आशीष कुमार, झा०प्र०से०, (चतुर्थ 'सीमित' बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हेरहंज, सम्प्रति-कार्यपालक पदाधिकारी, खूँटी के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत "निन्दन" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ASISH KUMAR JHK/JAS/227	श्री आशीष कुमार, झा०प्र०से०, (चतुर्थ 'सीमित' बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हेरहंज, लातेहार के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत "निन्दन" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
